(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 31/2023
दिनांकः 11 सितम्बर, 2023

विषयः वनस्पति पदार्थों से युक्त फूड सप्लीमेंट की निर्यात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची–2 को निम्नानुसार संशोधित करती है:

क्र.सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	मौजूदा नीति	नीतिगत शर्तें	संशोधित नीतिगत शर्तें
89क	1302	वनस्पति सैप्स और एक्स्ट्रैक्टस्, पेक्टिक पदार्थ, पेक्टिनेटस और पेक्टेटस, अगर–अगर और अन्य म्यूसिलेजेस और थिकनर्स चाहे वनस्पति उत्पादों से परिवर्तित, उद्भूत हो या नहीं।	मुक्त	यूरोपीय संघ (ईयू) और यूनाईटेड किंगडम को भारत में उद्गमित अथवा वहां से भेजे जाने वाले वनस्पति पदार्थ युक्त फूड सप्लीमेंट जो मानव अथवा पशु उपभोग के लिए हो, का निर्यात आधिकारिक प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए नामित सक्षम प्राधिकारी निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)/निर्यात निरीक्षण अभिकरण (ईआईए), द्वारा जारी आधिकारिक प्रमाण पत्र के अध्यधीन अनुमत है। आधिकारिक प्रमाण–पत्र यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार इस प्रयोजनार्थ ईआईसी/ईआईसी अनुमोदित प्रयोगशालाओं से संतोषजनक विश्लेषणात्मक परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाएगा।	• यूरोपीय संघ (ईयू) और यूनाईटेड किंगडम को भारत में उद्गमित अथवा वहां से भेजे जाने वाले वनस्पति पदार्थ युक्त फूड सप्लीमेंट जो मानव अथवा पशु उपभोग के लिए हो, का निर्यात आधिकारिक प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए नामित सक्षम प्राधिकारी निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)/निर्यात निरीक्षण अभिकरण (ईआईए), द्वारा जारी आधिकारिक प्रमाण पत्र के अध्यधीन अनुमत है। आधिकारिक प्रमाण–पत्र यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार इस प्रयोजनार्थ ईआईसी/ईआईसी अनुमोदित प्रयोगशालाओं से संतोषजनक विश्लेषणात्मक परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाएगा। • यूरोपीय संघ (ईयू) और यूनाईटेड किंगडम (यूके) को भारत में उद्गमित अथवा वहां से भेजे जाने वाले वनस्पति पदार्थ युक्त फूड सप्लीमेंट जो मानव अथवा पशु उपभोग के लिए हो, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित ईपीसी, शेफेक्सिल द्वारा आधिकारिक प्रमाण जारी करने
93क (1)	2106	खाद्य निर्मितियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट, अथवा शामिल न हों	मुक्त		

सं. सा/रमा

					के अध्यधीन इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए, यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित अपेक्षा के अनुसार इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित वनस्पति युक्त खाद्य सप्लीमेंट के निर्यात के लिए इटीओ परीक्षण के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से संतोषजनक विश्लेषणात्मक परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर भी अनुमति दी गई हैं।

2. इस अधिसूचना का प्रभावः

यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम को आईटीसी एचएस कोड 1302 और 2106 के तहत मानव अथवा पशु उपभोग के लिए अभिप्रेत वनस्पति पदार्थ युक्त फूड सप्लीमेंट के निर्यात के लिए ईआईसी/ईआईए या शेफेक्सिल द्वारा आधिकारिक प्रमाणपत्र जारी किए जाने की आवश्यकता होगी। शेफेक्सिल को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए आधिकारिक प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति है।

संतोष कुमार सारंगी
11.9.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/180/027/एएम22/ईसी/30745 से जारी)